संख्या- 9 /2025/398/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021

प्रेषक,

हरीश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 10 मार्च, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024.25 के अन्तर्गत उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु लोक लेखा में निधि हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि, 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में अन्तरण हेतु रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-103/ नि0शा0/ 2024-25 दिनांक 28 फरवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंए जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024.25 में अनुदान संख्या- 17 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2405- मछली पालन, 797- आरक्षित निधियों/ जमा लेखों को अन्तरण, 03- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण, 48. अन्तर्लेखा सक्रमण में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए लोक लेखा में निधि हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधिए 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि, 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में बुक इन्ट्री के माध्यम से अन्तरण की स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में अनुदान सख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 797- आरक्षित निधियों / जमा लेखों को अंतरण, 03- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण, 48- अन्तर्लेखा संक्रमण में प्राविधानित रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड मात्र) को लोक लेखा मे निधि हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि, 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में बुक इन्ट्री के माध्यम से अन्तरण करते हुए रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नकद रूप में नहीं किया जायेगा, अपितु उसे पुस्तक समायोजन द्वारा लेखाशीर्ष 2405- मछली पालन 797- आरक्षित निधियों/ जमा लेखों को अन्तरण 03- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण 48- अन्तर्लेखा संक्रमण से स्वीकृत करते हुए उसे पुस्तक समायोजन द्वारा लोक लेखाशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि,19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में पुस्तांकित कराया जायेगा।

(2) लेखाशीर्ष 2405- 797- 03- 48 अन्तर्लेखा संक्रमण से स्वीकृत धनराशि को बुक ट्रान्सफर द्वारा लोक लेखा निधि के लेखाशीर्ष 8229- लोक लेखा विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधिए 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में चालान के माध्यम से अंतरण किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि, व्यय धनराशि एवं बचतों का विवरण अंकित किया जायेगा। निधि के लेखें का अन्तरण निधि से व्यय एवं अवशेष धनराशि का नियमानुसार सत्यापन तथा मिलान महालेखाकार कार्यालय उ0प्र0 प्रयागराज के लेखे से निदेशक मत्स्य कार्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा कराया जायेगा तथा निदेशक मत्स्य एवं विभागाध्यक्ष मत्स्य विभाग द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(4) पूर्व में पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण/ व्यय 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य व्यय से किया जायेगा।

(5) आहरण का समायोजन भाग.4 लेने में घटाये जाने की कार्यवाही वित्त विभाग/ महालेखकार द्वारा किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(7) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथास्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानीआवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरणध/ व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित

कराते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रूपये 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024- 25 के अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 797- आरक्षित निधियों/ जमा लेखों को अन्तरण, 03- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण, 48-अन्तर्लेखा संक्रमण के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-1-446-X-2024-25-दिनांक:7-3-2025 से प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Harish Kumar Ashok
(हरीश कुमार)
Date: 18-03-2025 15:49:2

अनु सचिव।

संख्या- 9 / 2025/ 398/ सत्रह-म-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।